



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2/63/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 27/06/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'अठहत्तरवीं' बैठक मंगलवार दिनांक 04.07.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 04 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 05 से 06 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

IQAC विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. NAAC द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन, के लिए विश्वविद्यालय में पीयर टीम का दौरा 20 से 22 जुलाई, 2023 तक निर्धारित है, कार्यक्रम की जानकारी की सूचना ग्रहण करना।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स राशि रु. 1,13,39,437/- (रुपए एक करोड़ तेरह लाख उन्चालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप : 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 328/स्था.प्रशा./2003 रायपुर, दिनांक 24.01.2023 के द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांस योजना के तहत विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/3789/स्था./सा.प्रशा./2022 दिनांक 07.10.2022 द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तथा विश्वविद्यालय के आदेशक्रमांक 332/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 24.01.2023 के द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3782/स्था./सा.प्रशा./2022 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण संचालक, संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया है।
2. उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित शिक्षकों को देय तिथि से कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किया जाना है।
3. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर कुल एरियर्स की राशि आयककर सी.पी.एफ. कटौती सहित कुल राशि रु. 1,13,39,437/- (रुपए एक करोड़ तेरह लाख उन्चालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
6. सामान्य मद खाता क्र. 3065373385 से परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में राशि रु. 1,00,00,000.00 (रुपए एक करोड़ मात्र) स्थानांतरित किए जाने की सूचना ग्रहण करना।
टीप: दिनांक 16.05.2023 को सेंट्रल बैंक सुंदर नगर के सामान्य मद खाता क्र. 3065373385 से परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में राशि रु. 1,00,00,000.00 (रुपए एक करोड़ मात्र) स्थानांतरित किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

7. **वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023-24 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए प्रदान की गई अग्रिम राशि रु. 9,85,420/- (रुपए नौ लाख पच्चासी हजार चार सौ बीस मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।**
टीप: डॉ. एल.एस. गजपाल समन्वयक को वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023-24 के उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन हेतु अग्रिम राशि रु. 9,85,420/- (रुपए नौ लाख पच्चासी हजार चार सौ बीस मात्र) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया गया था, जिसका समायोजन उक्त संबंधित समन्वयक द्वारा किया गया है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।
8. **विश्वविद्यालय के 16 तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रथम समयमान (क्रमांक 1 कर्मचारी को प्रथम समयमान एवं द्वितीय समयमान) वेतनमान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28. अप्रैल 2008 (वित्त निर्देश 11/11/2008) में निहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पदान्ति/क्रमोन्नति प्रदाय किए जाने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 15.06.2023 की अनुशंसानुसार प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के 16 तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रथम समयमान (क्रमांक 1 कर्मचारी श्री दीपेन्द्र दुबे, द्वि.श्रे.लिपिक को प्रथम समयमान एवं द्वितीय समयमान) वेतनमान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
9. **विश्वविद्यालय के 28 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रथम समयमान वेतनमान (अधिसूचना क्रमांक 2890/सा.प्रशा./23 दिनांक 26.06.2023) की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।**
टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28. अप्रैल 2008 (वित्त निर्देश 11/11/2008) में निहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत 28 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पात्रतानुसार प्रथम समयमान वेतनमान विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2890/सा.प्रशा./23 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा प्रदान की गई है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।
10. **विश्वविद्यालय के 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को देय प्रतिमाह भुगतान की नियमित स्थायी भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
टीप: विश्वविद्यालय में कार्यरत 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह अप्रैल-मई 2023 (दिनांक 26.04.2023 से 25.05.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रूपए 13,43,171/- (रुपए तेरह लाख तिरालिस हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) का भुगतान किया गया है। तदनुसार प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है। अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
11. **स्व. श्री कमला प्रसाद काछी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,85,406.00 (रुपए आठ लाख पच्चासी हजार चार सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**
टीप: स्व. श्री कमला प्रसाद काछी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार का दिनांक 12.03.2023 को आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,85,406.00 (रुपए आठ लाख पच्चासी हजार चार सौ छः मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।



पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 07 से 08 तक)

टीप : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 को अपराह्न 4.00 बजे कुलपति कार्यालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की कार्यवृत्त माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-


13. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के IIC (Institute Inovation Council) के वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयोजन की प्रस्तावित श्रृंखला के क्रियान्वयन हेतु होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रु. 3,00,000.00 (रुपए तीन लाख मात्र) के भुगतान हेतु बजट आबंटन सामान्य प्रशासन मद से किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के बीच नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए 'MoE के इनोवेशन सेल की स्थापना की है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए बेहतर संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करने, विश्वविद्यालय में एक जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और स्टार्ट-अप सहायक तंत्र बनाने की दृष्टि से आईआईसी का पुनर्गठन किया है। आईआईसी का प्रमुख कार्य केंद्रीय एम.आईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न नवाचार और उद्यमिता-संबंधी गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से संचालित करना है ताकि नवाचारों की पहचान की जा सके और उन्हें पुरस्कृत किया जा सके और सफलता की हानियों को साझा किया जा सके। उद्यमियों, निवेशकों, पेशेवरों के साथ समय-समय पर कार्याशालाएं/सेमिनार/बातचीत आयोजित की जा सके। इसमें छात्र नवप्रवर्तकों के लिए एक मेंटर पूल का निर्माण और छात्रों द्वारा किए गए नवीन परियोजनाओं को उजागर करने के लिए एक संस्थान के इनोवेशन पोर्टल का निर्माण भी शामिल है। इसमें हैकथॉन, विचार प्रतियोगिता, लघु-चुनौतियाँ आदि का आयोजन भी शामिल होगा।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आईआईसी ने वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयोजन की श्रृंखला प्रस्तावित की है। उपरोक्त कार्य को क्रियान्वित करने हेतु होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रु. 3,00,000.00 (रुपए तीन लाख मात्र) बजट आबंटन किया जाना अथवा होने वाले व्यय का भुगतान सामान्य प्रशासन के मद से करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 27/06/2023

पू. क्रमांक : 2164 / अका. / का.प. / 2023
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

1

क्रमांक : 2005 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 01/06/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'सतहत्तरवीं' बैठक बुधवार दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | – सदस्य |
| 2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | – सदस्य | 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 3. डॉ. राजीव चौधरी | – सदस्य | 8. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 4. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 9. डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |
| 5. डॉ. समीर ठाकुर | – सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वार्षिक परीक्षा 2023 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 1,95,68,265/- (रुपए एक करोड़ पंचानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैसठ मात्र) में से द्वितीय किश्त की राशि रु. 96,85,218/- (रुपए छियाणबे लाख पच्चासी हजार दो सौ अठारह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,49,531.00 (रुपए सत्ताईस लाख उनचास हजार पाँच सौ इकत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री लक्ष्मीनारायण, भृत्य शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,58,166.00 (रुपए नौ लाख अठारह हजार एक सौ छियासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रूपए 13,35,000/- (रूपए तेरह लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को नियमित पद से 30.06.2021 सेवानिवृत्त के पश्चात् स्वयं के अंश के रूप में कटौती का पदवधि गणनानुसार राशि 5,34,809.00 (रूपए पाँच लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. 41 अतिथि व्याख्याताओं के माह फरवरी-मार्च 2023 के मानदेय राशि रूपए 8,60,700/- (रूपए आठ लाख साठ हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. 57 अतिथि व्याख्याताओं के माह मार्च-अप्रैल 2023 के मानदेय राशि रूपए 12,85,800/- (रूपए बारह लाख पच्चासी हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु अनुबंध कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु फर्म 'D' के साथ अनुबंध कराए जाने का अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का समूह बीमा की सेवानिवृत्त दावा राशि कुल रूपए 5,87,819 = 00 (रूपए पाँच लाख सत्यासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु अनुबंधित फर्म, G.S. Enterprises, CGHB Colony, Cedar 11/43 Opp. Sadani Darbar, Boriyakala, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 1,10,60,296=00 (रूपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3-2/2023/38-2 दिनांक 26.04.2023 में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID), in Semester System (Bachelor of Education) एवं पत्र क्र. एफ 3-1/2023/38-2 दिनांक 15.05.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) के अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. प्राचार्य, गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि रु. 18,73,512/- (रुपए अठारह लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ बारह मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

2. प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग को वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि रु. 28,33,924/- (रुपए अठारस लाख तैंतीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यपरिषद् में आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 356/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्र क्रमांक 365/95/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 01.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं समय सीमा पर लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 की अनुशंसा के तारतम्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के 18 एक्शन पॉइन्ट जो निम्नलिखित पाँच मुख्य बिन्दु पर केन्द्रित है -

1. Learner Centric Education
2. Digital Learning
3. Industry Institute Collaboration
4. Academic Research and Internationalisation
5. Indian Knowledge System

उपरोक्त 05 बिन्दुओं से सम्बन्धित 18 एक्शन पॉइन्ट को विश्वविद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नानुसार 11 प्रकोष्ठों/केंद्र को निर्मित/स्थापित किए जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -


1. उद्योग-अकादमिक सहयोग (Industry-Academia Collaboration)
2. कौशल विकास प्रकोष्ठ (Skill Development Cell)
3. डिजिटल लर्निंग एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रकोष्ठ (Digital Learning and Online Education Cell)
4. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell)


5. संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan (IDP) Cell)
6. भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Art Cell)
7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ (International Relation Cell)
8. दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता प्रकोष्ठ (Cell for differently abled students and SEDGs)
9. मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling Cell)
10. एलुमनी कनेक्ट प्रकोष्ठ (Alumni Connect Cell)
11. नवाचार एवं इंक्यूबेशन केंद्र (Innovation & Incubation Centre)

5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रतिमा स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के आग्रह पर कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा अपने पितामह स्वर्गीय श्री ज्ञावरमल शर्मा की स्मृति में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 5 फीट 3 इंच मकराना मूर्ति दान स्वरूप प्रदान किए जाने की वचनबद्धता प्रदान की गई। कार्यपरिषद् ने श्री सत्यनारायण शर्मा जी को इस सहृदय दान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा मूर्ति पं. रविशंकर शुक्ल जी के जयंती 2 अगस्त, 2023 को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 2006 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 01/06/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1029 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 04/05/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 04.05.2023 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
5. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	विशेष आमंत्रित
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

1. रिक्त शैक्षणिक पदों के भर्ती के लिए विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर के संबंध में नीति निर्धारण करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक (1) एफ 3-50/2005/उ.शि./38 रायपुर, दिनांक 01.05.2006 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 25 से 50 तक (2) एफ 5-5/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 08.07.2014 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 51 (3) एफ 3-14/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 06.09.2014 एवं एफ 3-2/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 6 नवंबर, 2017 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 52 (4) क्रमांक 3117/5453/2014/38-2 नया रायपुर, दिनांक 03.08.2015 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 53 (5) क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 11.10.2017 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 54 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रदान किए गए शैक्षणिक पदों के सेटअप के अनुक्रम में विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्तानुसार आरक्षण रोस्टर निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं का क्रम निम्नानुसार होगा -

अध्ययनशाला का नाम	उपर्युक्त पत्रों के अनुसार सेटअप में क्रमांक	विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए क्रमांक
भूगोल अध्ययनशाला	25	01
समाजशास्त्र अध्ययनशाला	26	02
मानव विज्ञान अध्ययनशाला	27	03
मनोविज्ञान अध्ययनशाला	28	04
साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला	29	05
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	30	06
इतिहास अध्ययनशाला	31	07

भौतिक अध्ययनशाला	32	08
गणित अध्ययनशाला	33	09
सांख्यिकी अध्ययनशाला	34	10
विज्ञान एवं उपकरण केंद्र	35	**
विधि अध्ययनशाला	36	11
कम्प्यूटर अध्ययनशाला	37	12
रसायन अध्ययनशाला	38	13
भू-विज्ञान अध्ययनशाला	39	14
पं. सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ	40	**
क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र	41	15
तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा अध्ययनशाला	42	16
पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला	43	17
इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला	44	18
शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला	45	19
जैविकी अध्ययनशाला	46	20
फार्मसी अध्ययनशाला	47	21
बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला	48	22
प्रबंध संस्थान	49	23
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग	50	24
अध्यापक शिक्षा संस्थान	51	25
मूल विज्ञान केंद्र	52	26
हिन्दी अध्ययनशाला	53	27
पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	54	28

- ** टीप 1. उपरोक्त तालिका के संदर्भ में सेटअप क्रमांक 35 (विज्ञान एवं उपकरण केंद्र) में शैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं है तथा सेटअप क्रमांक 40 (पं. सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ) अध्ययनशाला नहीं है। अतः संदर्भित केंद्र अध्ययनशालाओं हेतु प्रस्तावित आरक्षण रोस्टर में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं।
2. आगामी समय में विश्वविद्यालय को नए अध्ययनशालाओं के लिए प्राप्त पद पत्र प्राप्ति के परिपालन में बढ़ते अनुक्रम में होगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

Ashtak
कुलपति
अध्यक्ष

Ashtak
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1030 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 04 / 05 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

Ashtak
उप-कुलसचिव (अका.)



पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-mail: library_prsu@rediffmail.com, Phone No. 0771 – 2262686

7

ग्रंथा. पत्र क्र. 234/ग्रंथा.समिति/2023

रायपुर, दिनांक 19.06.2023

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 04:00 बजे कुलपति कार्यालय के बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला, कुलपति अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र पटेल सदस्य
3. प्रो. शैल शर्मा सदस्य
4. प्रो. राजीव चौधरी सदस्य
5. प्रो. संजय कुमार सदस्य
6. प्रो. निनाद बोधनकर सदस्य
7. प्रो. माया वर्मा सदस्य
8. प्रो. डी. पी. बिसेन सदस्य
9. प्रो. कविता ठाकुर सदस्य
10. प्रो. बी. एस. ठाकुर सदस्य
11. प्रो. आर. के. ब्रह्मे सदस्य
12. प्रो. आरती परगनिहा सदस्य
13. प्रो. व्यास दुबे सदस्य
14. श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर सदस्य
15. डॉ. सुपर्ण सेन गुप्ता, वि. वि. ग्रंथपाल सचिव

कार्यवृत्त

ग्रंथालय समिति के नए अध्यक्ष माननीय प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला जी, कुलपति का स्वागत एवं निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. केशरीलाल वर्मा जी पूर्व कुलपति द्वारा ग्रंथालय के उन्नयन हेतु किए गए प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समिति के बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई –

विषय क्र. 1 : ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.02.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय : समिति ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विषय क्र. 2 : वर्ष 2022-23 में ग्रंथालय के कार्य प्रगति की सूचना से समिति को अवगत कराना।

निर्णय : समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 3 : ग्रंथालय का वार्षिक बजट 2023-24 का पुर्नविनियोजन पर विचार करना।

निर्णय : समिति के पटल पर विगत 8 वर्षों के ग्रंथालय बजट की तालिका प्रस्तुत की गई।

S. N.	University Library Budget	Year	Books/Journals Amount (Rs.)	Expenditure (Rs.)	Total Budget (Rs.)
1.	Books & Journals	2016-17	41.00	49.95	62.00
		2017-18	42.00	26.01	64.00
		2018-19	42.00	37.08	64.00
		2019-20	40.00	12.88	56.00
		2020-21	40.00	14.02	55.00
		2021-22	35.00	11.77	49.00
		2022-23	35.00	14.43	50.00
		2023-24	12.00	प्रक्रियागत	17.90

उपरोक्त तालिका के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बजट के पुर्नविनियोजन पर विचार विमर्श किया गया -

1. नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए नई पुस्तकों का क्रय।
2. ग्रंथागार के ई-संसाधनों का सुदृढिकरण।
3. ग्रंथागार के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर जैसे- साहित्यिक चोरी बचाव, इत्यादि का क्रय।


उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार मंथन उपरांत समिति ने सर्वसम्मति से ग्रंथागार के बजट को पुर्नविनियोजित कर वर्ष 2018-19 के लिए अनुमत बजट राशि रु. 64.00 लाख के बराबर करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।


विषय क्र. 4 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से ग्रंथालय समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये -

1. विश्वविद्यालय ग्रंथालय को छात्र एवं शैक्षणिक हित में ई-संसाधनों के आदान प्रदान हेतु अन्य बड़े ग्रंथालयों से जोड़ने हेतु MOU करने की संभावना तलाशी जाए।
2. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय ग्रंथालय का लाभ सशुल्क प्राप्त हो सके, इस हेतु MOU करने की संभावना तलाशी जाए।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 (प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला)
 अध्यक्ष
 ग्रंथालय समिति



 (डॉ. सुपर्ण सेन गुप्ता)
 सचिव
 ग्रंथालय समिति

पृष्ठांकन पत्र क्र. 235/ग्रंथा.समिति/2023

रायपुर, दिनांक 19.06.2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति जी, अध्यक्ष ग्रंथालय समिति।
 2. माननीय कुलसचिव जी,
 3. माननीय समस्त सदस्य ग्रंथालय समिति।
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठित।


 सचिव
 ग्रंथालय समिति



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'अठहत्तरवीं' बैठक मंगलवार दिनांक 04.07.2023 को

अपराहन 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 05 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. आगामी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं अकादमिक स्कोर शीट का ड्राफ्ट का प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया जाना है, जिस हेतु विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं ए.पी.आई. स्कोर शीट का ड्राफ्ट का प्रारूप के परीक्षण के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2098/स्था./सा.प्रशा./2023 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा समिति का गठन किया गया।
उक्त गठित समिति के द्वारा विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं ए.पी.आई. स्कोर शीट का ड्राफ्ट का प्रारूप तैयार किया जाकर संचालक, आई.क्यू.ए.सी. से परीक्षण कराया जाना निर्देशित किया गया।
उपरोक्तानुसार संचालक, आई.क्यू.ए.सी. से परीक्षण कराया गया है। तदुपरांत उक्त विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं ए.पी.आई. स्कोर शीट (Annexure-I & Annexure-II) का ड्राफ्ट का प्रारूप संलग्न कर माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
3. डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान के कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोनयन/पदोन्नति के संबंध में विचार करना।
टीप : डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोनयन/पदोन्नति का लाभ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 22.12.2017 से माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2017 से माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2019 के बिन्दु क्रमांक 1 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य पर पूर्व में निर्णय लिया गया था।
तत्संबंध में डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) कराकर दिनांक 02.06.2023 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त जाति सत्यापन प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम अनुमोदन प्रदान किया गया है।
तदनुसार डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोनयन/पदोन्नति का लाभ दिनांक 22.12.2017 से प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.06.2020 के अनुसार साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में विचार करना।
टीप : छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य शासन प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाता है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2016/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 16 के अनुपालन में प्रत्येक स्थापना में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।
टीप : छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 16 में प्रत्येक स्थापना में इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण नियम 1998 के उप नियम 9 में संपर्क अधिकारी के कृत्य के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक No. F. 1-5/2006 (SCT) Date 8 March, 2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 3148/आर 09/भा.स./2019/38-2, दिनांक 24.12.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र में निहित निर्देशों के पालन के संबंध में विचार करना।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. भौतिकी एवं एस्ट्रोफिजिक्स अध्ययनशाला के Staff Council के द्वारा Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण के संबंध में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करना।

टीप : दिनांक 31.03.2023 को भौतिकी अध्ययनशाला की स्टाफ काउंसिल की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार Inspire Fellowship प्राप्त छात्र-छात्राएँ जो Inspire Project Work विभाग के किसी भी Faculty के निर्देशन में करते हैं, ऐसे छात्र-छात्राओं को राशि रु. 5000/- (रुपए पाँच हजार मात्र) प्रति छात्र तथा Non Inspire Fellowship छात्र-छात्राओं (विभाग के M.Sc.-IV sem के छात्र-छात्राओं को छोड़कर) को राशि रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) प्रति छात्र, विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त शुल्क का वितरण Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत निम्नानुसार होगा -

Distriburment of Project Fee under Consultancy Project Regulation No. 170 Under the referred Regulation approved as per following heads:

1. 30% amount will be deposited to the University.
2. 30% amount will be utilized as contingency for chemicals, samples, etc., of School.
3. 30% amount will be utilized by faculty/supervisor/investigator/ scientist.
4. 10% will be paid to staff clerk & lab technician, equally.

8. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा यूसिक विभाग में संचालित Skill Development Centre में प्रशिक्षणार्थियों के 30 दिनों के कौशल विकास प्रशिक्षण देने के संबंध में Staff Council के द्वारा निम्नानुसार लिए गए निर्णय के संबंध में विचार करना –
प्रवेश शुल्क (फीस) – विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए राशि रु. 1500/-
अन्य के लिए राशि रु. 2500/-

भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. B.Voc in Gem & Jewellery Professional Course में 10 से 20 सीट वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

- टीप : (1) वर्तमान में 10 सीट है।
(2) शैक्षणिक योग्यता 10 + 2,
(3) छात्रों के रूझान को देखकर सीट 10 से 20 करना प्रस्तावित है।
(4) बढ़ी हुई सीट 10+2 योग्यता वाले छात्रों से भरी जाएगी।
(5) यदि सीट रिक्त रहती है, तो स्नातक स्तर के आवेदन भी उक्त सीट में First Come first serve के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे, जिसका Payment Fee रु. 15000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) होगा।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. एम.एस-सी. रसायन के Payment Seat के अंतर्गत शुल्क की राशि 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) से 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : रसायन अध्ययनशाला के स्टॉफ कौंसिल में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 2023-24 में एम.एस-सी. में एम.एस-सी. रसायन में प्रवेश प्राप्त करने वाले Payment Seat छात्र के फीस में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

फीस	वर्तमान	प्रस्तावित
पेमेंट सीट	20,000/- प्रति सेमेस्टर	25,000/- प्रति सेमेस्टर

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
(पृष्ठ क्र 06 से 13 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

12. पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में ICICI Bank का A.T.M. स्थापित किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ एवं छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित S.B.I. का A.T.M. शाखा के अंदर होने के कारण कार्यालयीन अवधि के बाद तथा अवकाश दिवसों में A.T.M. से आवश्यकता पड़ने पर पैसे निकालने हेतु परिसर से बाहर जाना पड़ता है। पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में पुराने निर्मित कक्ष को मरम्मत कर ICICI Bank का A.T.M. स्थापित करने राशि रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) मासिक संधारण शुल्क तथा विद्युत भार स्वयं ICICI Bank के द्वारा वहन किए जाने के शर्त पर प्रदान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना देयक की शेष 25 प्रतिशत राशि रु. 10,71,149=00 (रुपए दस लाख इकहत्तर हजार एक सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना हेतु फर्म O S Ventures Pvt. Ltd., Samta Colony, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 586/विकास/2022 रायपुर दिनांक 18/11/2022 के द्वारा आदेशित किया गया था।

संबंधित फर्म के द्वारा वाई-फाई स्थापना कार्य करने के पश्चात देयक क्र. OSVPL/MAR/23/001 दिनांक 01/03/2023 के द्वारा रु. 42,84,595=00 (रुपए बयालिस लाख चौरासी हजार पाँच सौ पंचानवे मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में उक्त देयक का 75 प्रतिशत राशि रु. 32,13,446=00 (रुपए बत्तीस लाख तेरह हजार चार सौ छियालिस मात्र) 75 प्रतिशत कार्य पूर्णता के आधार पर भुगतान किया गया है। फर्म द्वारा वर्तमान में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर (गोपनीय) के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अतः फर्म को शेष 25 प्रतिशत राशि रु. 10,71,149=00 (रुपए दस लाख इकहत्तर हजार एक सौ उनचास मात्र) भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना अतिरिक्त सामग्री देयक रु. 10,32,509=00 (रुपए दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सामग्री कय हेतु फर्म O S Ventures Pvt. Ltd., Samta Colony, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 297/विकास/2023 रायपुर दिनांक 12/04/2023 के द्वारा आदेशित किया गया था।

संबंधित फर्म के द्वारा वाई-फाई स्थापना कार्य करने के पश्चात देयक क्र. OSVPL/MAY/23/006 दिनांक 03/05/2023 के द्वारा रु. 10,32,509=00 (रुपये दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर (गोपनीय) के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अतः निम्नानुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :-

1. फर्म को वाई-फाई स्थापना अतिरिक्त सामग्री कय देयक रु. 10,32,509=00 (रुपए दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु
2. C.VI-Other S.o.S. (6) Networking /website में प्रावधानित राशि अपर्याप्त होने के कारण मद (7) Expansion of Existing RSU - CAN/Edusat/Smart Class Room में प्रावधानित राशि रु. 100=00 लाख में से रु. 11=00 लाख (6) Networking /website में पुनर्वियोजित किए जाने हेतु।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. छात्र जयानंद मौर्य को दीक्षांत समारोह के पूर्व Post Doctoral Fellowship हेतु उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना क्रमांक 3762, दिनांक 25.04.2023 के अनुक्रम में जारी किए गए उपाधि प्रमाण-पत्र की सूचना ग्रहण करना।

टीप : भौतिकी विषय में छात्र जयानंद मौर्य द्वारा अधिसूचना क्र. 3762 दिनांक 25.04.2023 में पी. एच-डी. की उपाधि उन्हें Post Doctoral हेतु आवश्यक होने के कारण आवेदन प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. की उपाधियाँ दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाता है। दिनांक 24 मई 2023 को छब्बीसवाँ दीक्षांत समारोह में दिनांक 31.03.2023 तक की पी. एच-डी. उपाधियाँ वितरित किया गया है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए उपाधि जारी कर दिनांक 08 जून, 2023 को ई-मेल किया गया है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अधिसूचना क्रमांक 3762, दिनांक 25.04.2023 के अनुक्रम में जारी किए गए उपाधि प्रमाण-पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।

मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस-सी. पाठ्यक्रम में संचालित जीव विज्ञान संकाय-20 सीट एवं गणित संकाय-20 सीट निर्धारित है, में 10-10 सीट वृद्धि कर Payment Seat के तहत रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) शुल्क किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: मूल विज्ञान केंद्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सत्र 2015-16 से पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस-सी. पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। जिसमें कुल 40 सीटों (20 सीटें जीवविज्ञान संकाय व 20 सीटें गणित संकाय) में प्रवेश, CBS EST प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 1200-1500 छात्र-छात्राएँ प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करते हैं। इस वर्ष 3663 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। इतनी अधिक छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए Payment Seats के माध्यम से जीवविज्ञान संकाय में 10 सीट व गणित संकाय के 10 सीटों में वृद्धि किया जाना है। उक्त दोनों संकायों में 10-10 सीट वृद्धि कर Payment Seat के तहत रु. 20,000/-- (रुपए बीस हजार मात्र) शुल्क निर्धारित किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, आयोध्या, उत्तर प्रदेश से MoU के संबंध में विचार करना।

टीप : अयोध्या शोध संस्थान, आयोध्या उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का एक शोध संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य कराया जाता है साथ ही संस्कृति शोध को प्रोत्साहित किया जाता है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

Syontal
4/7/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 2180/अका./वि.परि./2023

रायपुर, दिनांक : 30/06/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 27.06.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर	—	सदस्य
10. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
12. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
13. डॉ. राजेश श्रीवास	—	सदस्य
14. प्रो. पी.सी. चौधरी	—	सदस्य
15. डॉ. मीना पाठक	—	सदस्य
16. डॉ. एस.एस. दीवान	—	सदस्य
17. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
18. डॉ. प्रभावती शुक्ला	—	सदस्य
19. डॉ. ए.के. परसाई	—	सदस्य
20. डॉ. बशीर हसन	—	सदस्य
21. डॉ. दुर्गा प्रसाद बिसेन	—	सदस्य
22. डॉ. उमा गोले	—	सदस्य
23. डॉ. कविता ठाकुर	—	सदस्य
24. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
25. डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	सदस्य
26. डॉ. (श्रीमती) एस. चक्रवर्ती	—	सदस्य
27. डॉ. पारमिता दुबे	—	सदस्य
28. डॉ. एस.के. प्रसाद	—	सदस्य
29. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
30. डॉ. साधना जायसवाल	—	सदस्य
31. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
32. डॉ. प्रीति के. सुरेश	—	सदस्य
33. डॉ. पुष्पेश पाण्डेय	—	सदस्य

1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

34. डॉ. रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
35. डॉ. संध्या वर्मा	–	सदस्य
36. डॉ. (श्रीमती) विनीता अग्रवाल	–	सदस्य
37. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
38. डॉ. जगेलाल गहरे	–	सदस्य
39. डॉ. के.के. घोष	–	सदस्य
40. डॉ. निस्तर कुजूर	–	सदस्य
41. डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
42. डॉ. आरती परगनिहा	–	सदस्य
43. डॉ. आर.के. दुबे	–	सदस्य
44. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.10.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: बैठक दिनांक 07.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन के पूरक विषयसूची क्रमांक 05 की जानकारी को आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.12.2021, 10.01.2022, 21.01.2022, 25.03.2022, 01.04.2022, 02.06.2022, 15.07.2022, 03.08.2022, 16.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 04.01.2023, 16.02.2023, 06.03.2023, 31.03.2023, 27.04.2023, 04.05.2023, 30.05.2023 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय :अनुमोदन किया गया।

4. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर	BCA Part-III	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति 15 दिन के समय-सीमा के अंदर करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर निरीक्षण समिति के पुनः गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem. Chemistry	20	2023-24
		B.C.A.-III	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की यथाशीघ्र पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

- | | |
|----|---|
| 1. | कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. | पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |

कार्यवृत्त – विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023

5. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला शोध केन्द्र में क्षेत्रीय अध्ययन में पी-एच.डी. पुनः प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अंतर्विषयी शोध कार्य हेतु मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंध, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं भूगोल विषयों के शोधार्थी इस शोध केंद्र में इस शर्त के साथ प्रवेश ले सकेंगे, कि विषय से संबंधित नियमित प्राध्यापक ही शोध-निर्देशक हो सकते हैं तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला के प्रभारी अधिकारी शोध-कार्य को मात्र कोआर्डिनेट करेंगे। शोधार्थी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्नातकोत्तर से संबंधित विषय अथवा क्षेत्रीय अध्ययन विषय में से किसी एक में शोध उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। अन्य अंतर्विषयी शोध कार्य के संचालन के संदर्भ में नीति निर्धारण के संबंध में यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

6. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला-रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाठा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
3	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महावि., जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
4	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
5	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
6	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
7	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
8	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
9	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
10	अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी (सिहावा) जिला-धमतरी
11	श्यामबालाजी कालेज, प्लॉट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

निर्णय: उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 3959/237/आउशि/समन्वय/2023 दिनांक 07.06.2023 द्वारा स्नातक स्तर चार वर्षीय (सेमेस्टर प्रणाली) के 44 विषयों का एवं त्रिवर्षीय (वार्षिक प्रणाली) के कुल 48 विषयों के पाठ्यक्रम की सॉफ्टकापी उपलब्ध कराया गया है जिसे अपने पत्र क्रमांक 3985/237/आउशि/2023 दिनांक 13.06.2023 द्वारा स्वशासी महाविद्यालयों में

- | | |
|----|---|
| 1. | कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. | पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |

(A)

कार्यवृत्त – विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023
सेमेस्टर प्रणाली तथा शेष महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम लागू किए जाने का लेख किया गया है। पाठ्यक्रम लागू किए जाने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. 141/15/आउशि/योजना/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.06.2023 के अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना करने की प्रशासकीय अनुमति के साथ विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ पत्र प्रेषित किया गया है कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने का आदेश जारी कर, प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराएं तत्संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विश्वविद्यालय के नियमानुसार शासन आदेश के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा कराए जाने के पश्चात् निरीक्षण समिति का गठन कर निरीक्षण की कार्यवाही करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक में अनुमोदन कराए जाने के बाद सम्बद्धता आदेश जारी किया जाता है। वर्तमान में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। शासन आदेश के अनुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षाएँ प्रारंभ किया जाना है। अतः निम्नांकित नवीन महाविद्यालय


- (1) नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद
- (2) नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला-रायपुर
- (3) नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर


उपरोक्त को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में नाम इंड्राज किए जाने की अनुशंसा करते हुए समानांतर रूप से संबद्धता की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला का गठन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला प्रारंभ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर पृथक-पृथक राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विषय को शामिल किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


20/6/23
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 2181/अका./वि.परि./2023

रायपुर, दिनांक : 30/06/2023

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।


- | |
|--|
| 1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |



3

कार्यवृत्त – विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023

4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।



यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 449 / यांत्रिकी / 2023

रायपुर, दिनांक 20 / 06 / 2023

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 12/06/2023 को मध्याह्न 12.00 बजे प्रशासनिक भवन, कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल | - कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल | - कुलसचिव | - सचिव |
| 3. | श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर | - वित्त नियंत्रक | - सदस्य |
| 4. | श्री डी.के.चंदेल | - कार्यपालन अभियंता | - सदस्य |
| | | लो.नि.वि. क्र.03 | |
| 5. | श्री बी.पी. भंवर | - विश्वविद्यालय यंत्री | - सदस्य |
| 6. | श्री नवीन शर्मा | - आर्किटेक्ट रूसा | - विशेष आमंत्रित |
| 7. | श्री विनोद बिसेन | - आर्किटेक्ट (खेलो इंडिया परियोजना) | - विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री एम.प्रसाद | - सहा. अभियंता लो.नि.वि. | - विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री जयप्रकाश चौरसिया | - उपअभियंता लो.नि.वि. | - विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री आरविंद डे. | - लो.नि.वि. उपअभियंता | - विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्री उमेश द्विवेदी | - उपअभियंता लो.नि.वि. | - विशेष आमंत्रित |

बैठक की कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

विषय क्र0 1- छ.ग.हैरिटेज म्यूजियम भारत शासन को प्रेषित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

कार्यालयीन टीप:- निम्नांकित तथ्यों को अवलोकन कराया गया :-

- (A) विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली को पत्र क्र. 1328/Reg दिनांक 03.03.2020 द्वारा परिसर में 5 एकड़ भूमि चिन्हाकित कर आर्किटेक्ट मे./श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर, से स्टेज-1 प्राक्कलन राशि रु. 10 करोड़ का प्रस्ताव अनुदान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया गया था।
- (B) भारत शासन, संस्कृति मंत्रालय, के पत्र क्रमांक File No. M.I-24/31 2021- Museum-I शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.07.2021 में उक्त प्रस्ताव हेतु गाइड लाइन प्रेषित कर, तदनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने निर्देश दिया गया था।
- (C) भारत शासन नई दिल्ली के गाइड लाइन के अनुसार छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग क्र0-03 द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए विस्तृत व्यय प्राक्कलन, आर्किटेक्ट के आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

लागत (लाख में)

- (i) भूतल सिविल कार्य (2066 SQM) रु. 278.39

(ii)	प्रथम तल सिविल कार्य (1470 SQM)	रु. 209.83
(iii)	सेनेटरी एवं जलप्रदाय	रु. 6.13
(iv)	इलेक्ट्रीफिकेशन	रु. 86.91
(v)	सेफ्टींक टैंक	रु. 2.62
(vi)	बोर वेल	रु. 0.95
(vii)	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	रु. 0.55

योग	रु. 585.38
@1% कन्टीनजेन्सी चार्जस	रु. 5.85
@1.49% आर्किटेक्चरल फीस चार्जस	रु. 8.72

कुल योग	रु. 599.96
---------	------------

- (d) गाइड लाइन के अनुसार निम्नानुसार अन्य मदों में प्राक्कलन तैयार किया गया है:-
- | | | |
|-------|-------------------------|--------------------|
| (i) | कंजरवेशन आफ लेबोरेटरीज- | रु. 1,20,60,000 /- |
| (ii) | फायर फाइटिंग,सिस्टम- | रु. 750,000 /- |
| (iii) | सेक्यूरिटी सिस्टम- | रु. 36,22,560 /- |
| (iv) | म्यूजियम कम्पोनेन्टस- | रु. 2,14,96,000 /- |
- (e) उपरोक्त कंडिका क्र. (C) एवं (d) की कुल योग राशि रु. 9,99,99,560 /-(रु. नौ करोड़, निन्यानबे लाख, निन्यानबे हजार, पांच सौ साठ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।
- (f) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 440/यांत्रिकी दिनांक 05.06.2023 द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली को प्रेषित प्रस्ताव में:-
- (i) विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 48 अनुसार विगत 3 वर्षों की आय व्यय का विवरण अंकित करते हुए, उसके अंकेक्षण राज्य शासन के संयुक्त संचालक, छ.ग., राज्य संपरीक्षा रायपुर-1 द्वारा किये जाने का "प्रमाण पत्र" दिया गया है।
- (ii) संस्कृति मंत्रालय, भारत शासन के गाइड लाइन के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि में से 20% राशि अर्थात रु. 2 करोड़ विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोत से अंशदान देने के लिए विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राशि का पुर्ननियोजन करने विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 24(VI)b के प्रावधान अनुसार कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी से दिनांक 05.06.2023 को स्वीकृति प्राप्त कर, इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है।
- (iii) संस्कृति मंत्रालय, भारत शासन द्वारा अनुदान स्वीकृति पूर्व निर्धारित प्रारूप में रु. 100/ के स्टाम्प पेपर में "Formate of Bond" स्वीकृत अनुदान के अन्य उपयोग नहीं करने अन्यथा कि स्थिति में @10% वार्षिक ब्याज के साथ स्वीकृत अनुदान को वापस प्रदान करने वचनबद्धता कुलसचिव के हस्ताक्षर से प्रदान किया गया है।

निर्णय :-उपरोक्तानुसार सूचना के साथ राशि रु. 9,99,99,560 /-(रुपये नौ

(४)

करोड़ निन्यानबे लाख, निन्यानबे हजार, पांच सौ साठ) के प्रेषित प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय क्र०-02:- एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण के प्रस्तावित स्थल में परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

कार्यालयीन टीप:- निम्नांकित तथ्यों को अवलोकन कराया गया:-

- (a) एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण के भूतल हेतु राशि रु. 2.84 करोड़ के विस्तृत प्रांक्कलन आर्किटेक्ट में./भारती एण्ड एसोसियट्स रायपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग रायपुर क्र०-03 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 01.02.2022 की अनुशंसा पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2022 में स्वीकृति अनुसार छ.ग. लोक निर्माण विभाग रायपुर क्र.-03 द्वारा डिपॉजिट वर्क के रूप में कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था।
- (b) विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 03.06.2022 पूरक विषय सूची क्र. 06 में छ.ग. लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-03 को 100% राशि रु. 2.84 लाख भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया था।
- (c) विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2022-23 के पृष्ठ क्र.-15 स.क्र.18 में Centralize Integrated Exam Hall में प्रावधान राशि में से राशि रु. 1.42 करोड़ (प्रांक्कलित राशि रु. 2.84 करोड़ का 50% राशि) का भुगतान घनादेश क्र. 197006 दिनांक 26.09.2022 को किया गया था।
- (d) प्रस्तावित भवन का निर्माण शारीरिक शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स ट्रेक के बगल में रिक्त खुले मैदान में निर्धारित किया गया था, तदनुसार उक्त स्थल में Soil के Bearing Test कर ड्राइंग, डिजाइन तैयार किया गया था।

निर्णय:-उक्त स्थल में नियमित रूप से खेल गतिविधियाँ संचालित होती है, जिसका संदर्भ देते हुए माननीय संसदीय सचिव, छ.ग. शासन श्री विकास उपाध्याय के द्वारा पत्र क्र. 614 दिनांक 01.06.2023 को पत्र प्रेषित करते हुए जनहित में स्थान परिवर्तित करने अनुरोध किया गया था। अतः समिति द्वारा समग्रता से विचार करते हुए प्रस्तावित भवन का निर्माण कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला के बगल में स्थित रिक्त भूमि में किए जाने के प्रस्ताव के सापेक्ष संलग्न साइट प्लान का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र०-03:-खेलो इंडिया योजना अन्तर्गत खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रेषित प्रस्ताव को अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

कार्यालयीन टीप:-निम्नांकित तथ्यों का अवलोकन कराया गया:-

- (1) वर्ष 2018 से खेलो इंडिया योजना अन्तर्गत खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भारत शासन नई दिल्ली से अनुदान प्राप्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

- (2) भारत शासन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्राप्त पत्र क्रमांक 117011/615/2022-MD-SD दिनांक 18.10.2022 में प्रस्ताव को छ.ग. शासन से आवेदन के निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित कराने निर्देश दिया गया था।
- (3) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 329/यांत्रिकी/2023 दिनांक 24.02.2023 द्वारा संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छ.ग. रायपुर को राशि रु. 6406 लाख का विस्तृत प्रस्ताव निर्धारित आवेदन प्रारूप में प्रेषित कर भारत शासन को अग्रेषित करने अनुरोध किया गया था।
- (4) संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक अधो-68/2023-24/239 दिनांक 8.5.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को अग्रेषित किया गया था।
- (5) सचिव, छ.ग. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 04-12/2023/9/791 दिनांक 26.05.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को निर्धारित आवेदन-प्रारूप में प्रतिहस्ताक्षर कर भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया गया है।
- निर्णय:- सूचना ग्रहण कर प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र0-04:-गणित विभाग के भवन निर्माण।

कार्यालयीन टीप:- निम्नांकित तथ्यों का अवलोकन कराया गया:-

- (1) गणित विभाग के भवन निर्माण हेतु वास्तुविद श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर से भूतल निर्मित क्षेत्र 663 वर्गमी. की स्टेज-1 स्टीमेट राशि रु. 99,45,000/- (रु. निन्यानबे लाख पैतालीस हजार) को भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 विषय क्र.14 में अनुशंसा किया गया था।
- (2) विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.03.2022, विषय क्र.27 में भवन समिति के अनुशंसा का अनुमोदन कर प्रस्ताव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करने अनुमोदन किया गया था।
- (3) छ.ग. शासन के वर्ष 2022-23 के बजट में उक्त हेतु प्रावधानित बजट राशि को विश्वविद्यालय को विमुक्त करने दिनांक 18.10.2022 को प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को जमा कराया गया था।
- (4) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्र. 581/100/आ.उ.शि./वि.वि. अनु./2022 दिनांक 09.11.2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव छ.ग. मंत्रालय, रायपुर को प्रावधानित अनुदान रु. 100 लाख विमुक्त करने अग्रेषित किया गया था।
- (5) मंत्रालय, छ.ग. उच्च शिक्षा, रायपुर द्वारा उक्त प्रस्ताव बजट वर्ष 2023-24 के नवीन मद में प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया है।

निर्णय:-छ.ग. शासन को उक्त प्रस्ताव नवीन मद में अनुदान प्राप्ति हेतु पुनः प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र0-05:-हाईमास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने विचारार्थ।

कार्यालयीन टीप:-

 20.06.2023

12

- (1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राशि रु. 10,83,128/- (रु. दस लाख तीरासी हजार एक सौ अठ्ठाईस) लागत में खुली निविदा आमंत्रित कर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मूर्ति चौक में हाईमास्ट एल.ई.डी. लाईट स्थापित किया गया था।
- (2) विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के बैठक पूरक विषय क्र.10, दिनांक 05.01.2023 में बजट वर्ष 2022-23 में 4 नग और हाईमास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने राशि रु. 43,32,512/- की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया था।

निर्णय:-(1) विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 के Engg Unit बजट B-5 (a) Electricity & Water Supply & Campus Development में राशि रु. 50 लाख प्रावधान अन्तर्गत छ.ग. लोक निर्माण विभाग के विद्युतीय एस.ओ.आर., दिनांक 01 जून 2022 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए 01 नग हाईमास्ट लाइट लगाने राशि रु. 10,83,128/- (दस लाख तीरासी हजार एक सौ अठ्ठाईस) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित करने अनुशंसा किया गया।

(2) परिसर के विद्युतीय व्यय को कम करने विभिन्न भवनों में स्थापित सोलर सिस्टम की सर्विसिंग एवं मरम्मत करवाकर, उनको ग्रीड से सम्बद्ध कर, अन्य भवनों में सोलर पैनल स्थापित करने प्रस्ताव तैयार करने निम्न समिति गठित करने अनुशंसा किया गया :-

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| (1) प्रो. निनाद बोधनकर | - समन्वयक |
| (2) प्रो. कविता ठाकुर | - विभागाध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी |
| (3) श्री के.एस. कश्यप | - सहायक कुलसिचव (विकास) |

विषय क्र0-06:- पेव्हर ब्लॉक कार्य कराने बाबत।

कार्यालयीन टीप:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निम्नलिखित स्थानों में पेव्हर ब्लॉक कार्य कराने प्रांक्कलन छ.ग. लोक निर्माण विभाग के 01.01.2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रशा./वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया गया था:-

क्र.	स्थान	प्रांक्कलन राशि
(1)	सिल्वर जुबली रोटके पास	रु. 4,20,453/-
(2)	रसायन अ.शा. के सामने	रु. 4,14,002/-
(3)	अन्य स्थलों में	रु. 50,00,000/-
कुल योग		रु. 58,34,455/-

निर्णय:-समिति द्वारा वर्ष 2023-2024 में Engineering-Unit के बजट स.क्र. 10 Campus Buitification / Paver Work हेतु प्रावधानित राशि रु. 100 लाख के अन्तर्गत पेव्हर ब्लॉक संबंधित कार्यो की प्राथमिकता एवं स्थान चयन करने के लिए निम्नानुसार समिति के गठन की अनुशंसा की गई:-

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| (1) प्रो. आशीष श्रीवास्तव प्राक्टर | - समन्वयक |
| (2) श्री अनिमेष देवांगन, उपकुलसचिव | - सदस्य |



विषय क्र०-07:- रूसा परियोजना में, विश्वविद्यालय की शेष राशि हेतु ग्रंथागार विस्तार एवं स्मार्ट टायलेट भवन निर्माण प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय:-रूसा परियोजना में विश्वविद्यालय की शेष बचत राशि रू. 182.84 लाख के लिए स्थलीय निरीक्षण के उपरांत रूसा के अनुबंधित आर्किटेक्ट श्री नवीन शर्मा एवं लो.नि.वि. के उपअभियंता श्री जयप्रकाश चौरसिया द्वारा उक्त संबंध में प्रस्तुत कार्ययोजना एवं प्रांककलन के क्रम में निम्नानुसार प्रस्तावित राशि सीमा के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया:-

(i)	ग्रंथागार भवन द्वितीय चरण विस्तार —	रू. 80.00 लाख।
(ii)	ग्रंथागार भवन तृतीय चरण विस्तार —	रू. 80.00 लाख।
(iii)	सार्वजनिक प्रसाधन —	रू. 17.84 लाख।
(iv)	सार्वजनिक पेयजल शेड —	रू. 1.25 लाख।
(v)	ए.टी.एम. के लिए कक्ष निर्माण —	रू. 3.75 लाख।

विषय क्र०-08:- विश्वविद्यालय के कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों की मरम्मत के संबंध में निविदा आमंत्रण करने विचारार्थ।

कार्यालयीन टीप:-

- (1) विश्वविद्यालय परिसर के कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व किया गया है, भवनों की वार्षिक मरम्मत के अभाव में स्थिति जीर्ण अवस्था में हैं।
- (2) विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निम्नानुसार प्रावधान अनुसार वार्षिक संधारण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है:-

क्र.	कार्य का नाम	बजट शीर्ष 2023-24	प्रांककलन राशि
(a)	सिविल मरम्मत	Engineer Unit के बजट 3(a) में प्रावधान राशि रू. 201 लाख	रू. 100/- लाख
(b)	इलेक्ट्रीक मरम्मत	बजट 3(d) में प्रावधान राशि रू. 350 लाख	रू. 100/- लाख
(c)	जलप्रदाय मरम्मत	बजट 3(d) में प्रावधान राशि रू. 350 लाख	रू. 100/- लाख
(d)	सेनेटरी मरम्मत	बजट 3(d) में प्रावधान राशि रू. 350 लाख	रू. 100/- लाख
(e)	पोताई/पेन्टींग	बजट सं.क्र. 22 में प्रावधान राशि रू. 200 लाख	रू. 100/- लाख

निर्णय:-(1) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े प्रोफेसर क्वार्टर क्र.पी/1 की वर्तमान

स्थिति का तकनीकी परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लो.नि.वि. संभाग क्र.3 को पत्र प्रेषित करने तथा नवीन आवासीय भवन के लिए पृथक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई ।

(2) प्रावधानित बजट अन्तर्गत वार्षिक मरम्मत हेतु उक्त कार्यों (a से e) के संबंध में दर-अनुबंध (Rate Contract) करने के लिए पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र0-09:- रूसा योजना के अन्तर्गत कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. संभाग क्र.-3 रायपुर को शेष राशि का भुगतान।

निर्णय:-

(i) कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्रमांक-3, रायपुर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 3798/अंके.रा-3 दिनांक 01.06.2023 संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं ।
(ii) प्राप्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से रूसा योजना के अंतर्गत "मूल निर्माण कार्य एवं नवीनीकरण कार्य" मद हेतु अब तक राशि रू. 875.00 लाख उपलब्ध करायी गई है, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक राशि रू. 906.32 लाख व्यय किया जा चुका है, इस तरह से लोक निर्माण विभाग द्वारा रू. 31.15 लाख का अतिरिक्त व्यय अन्य जमा मद से किया गया है। शेष कार्यों पर संभावित व्यय की राशि रू. 264.00 लाख को मिलाकर कुल व्यय रू. 1170.32 लाख होगा। अतः रू. 1170.32 लाख में से रू. 875.00 लाख घटाने पर अवशेष राशि रू. 295.32 लाख राशि का भुगतान लो.नि.वि. को किए जाने के संबंध में विचार कर आय व्यय का विस्तृत प्रतिवेदन लो.नि.वि. से प्राप्त करते हुए "कार्य के संपादन एवं गुणवत्ता परीक्षण" के लिए निम्नांकित समिति का गठन किये जाने की अनुशंसा की गई :-

- | | |
|---|-----------|
| (1) प्रो. निनाद बोधनकर, प्रभारी रूसा | - समन्वयक |
| (2) प्रो. बी.एस. ठाकुर, विभागाध्यक्ष गणित अ.शा. | - सदस्य |
| (3) श्री अनिमेष देवांगन, उपकुलसचिव | - सदस्य |
| (4) श्री बी.पी. भंवर, विश्वविद्यालय यंत्री | - सदस्य |
| (5) श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपअभियंता लो.नि.वि. | - सदस्य |
| (6) श्री उमेश द्विवेदी, उपअभियंता लो.नि.वि. | - सदस्य |

विषय क्र0-10:- नवीनीकृत प्रेक्षागृह भवन को पूर्णता उपरांत लो.नि.वि. से हस्तांतरण पर चर्चा करना।

निर्णय:-

(1) प्रेक्षागृह भवन के पूर्णता तथा उसके आय-व्यय के संबंध में प्रतिवेदन लो.नि.वि. रायपुर क्र.3 से प्राप्त करने के उपरांत कार्य के संपादन एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए निम्नानुसार समिति गठन करने की अनुशंसा की गई :-

- 13)
- | | |
|--|-----------|
| (1) प्रो. निनाद बोधनकर | — समन्वयक |
| (2) श्री अनिमेष देवांगन, उपकुलसचिव | — सदस्य |
| (3) प्रो. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. | — सदस्य |
| (4) श्री बी.पी. भंवर, विश्वविद्यालय यंत्री | — सदस्य |
| (5) श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपअभियंता लो.नि.वि. | — सदस्य |
| (6) श्री उमेश द्विवेदी, उपअभियंता लो.नि.वि. | — सदस्य |

(2) प्रेक्षागृह भवन के विद्युत भार को बढ़ाने के संबंध शीघ्र कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र0-11:- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा करना।

(1) परीक्षा विभाग की फर्नीशिंग का कार्य


कार्यालयीन टीप:-


(1) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में राशि रु. 28.38 लाख के प्रांककलन की अनुशंसा को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.08.2022 में वित्तीय स्वीकृति बजट वर्ष 2022-23 में प्रदान किया गया था।

(2) विभागीय आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षित प्रांककलन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं :-

(i) काम्पेक्टर	रु. 20,71,455 /-
(ii) सिविल/इले. कार्य	रु. 45,75,254 /-
कुलयोग	रु. 66,46,689 /-

निर्णय:- उक्त प्रस्ताव के स्थान पर रुसा परियोजना अन्तर्गत नवीनीकरण कार्य हेतु प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि 47.20 लाख के अंतर्गत परीक्षा विभाग के नवीनीकरण/फर्नीशिंग किए जाने की अनुशंसा की गई।


(प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल)
कुलपति


(डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 450/यांत्रिकी/2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 20/06/2023

1. सम्माननीय सदस्यों को सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक पं.र.शं.शु.वि.वि रायपुर को सूचनार्थ।
3. माननीय कुलपति जी के सचिव, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।
4. कुलसचिव महोदय के निज सहायक, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।


विश्वविद्यालय यंत्री